(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 06th November, 2025

NOTIFICATION

No. 10-4/2025-U.3(A): Whereas, Yenepoya (Institution Deemed to be University), Mangalore, Karnataka had uploaded its application on UGC Portal to start an off-campus Centre at No. 118/27, Chokkanahalli Village, Yelahanka Hobli, Bangalore, Karnataka under the provisions of UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No. 26-7/2024 (CPP-I/DU) dated 08.01.2025, had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Yenepoya (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka with certain conditions. Accordingly, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 20.02.2025 to Yenepoya (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Chokkanahalli Village, Yelahanka Hobli, Bangalore, Karnataka.

3. **And further whereas**, the Registrar, Yenepoya (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka, vide his letter dated 07.03.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and advice. UGC, vide letter No. 26-7/2024 (CPP-I/DU) dated 12.08.2025, conveyed that the compliance report was examined and accepted by its Standing Committee. The report of the Committee was also approved by the Chairman, UGC.

4. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Yenepoya (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka to start an off-campus Centre at Chokkanahalli Village, Yelahanka Hobli, Bangalore, Karnataka.

5. Yenepoya (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well

as the directions, Rules, Regulations of Central Government, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Yenepoya (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Secretary, Department of Higher Education, Government of Karnataka.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
7. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
8. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 23381578

(भारत के राजपत्र भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2025

अधिसूचना

सं. 10-4/2025-यू.3(ए): जबकि, येनेपोया (सम विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत सं. 118/27, चोक्कानहल्ली गांव, येलहंका होबली, बैंगलोर, कर्नाटक में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया था।

2. **और जबकि,** यूजीसी ने दिनांक 08.01.2025 के अपने पत्र संख्या 26-7/2024 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से येनेपोया (सम विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक को कुछ शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, चोक्कानहल्ली गाँव, येलहंका होबली, बैंगलोर, कर्नाटक में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने से पूर्व 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने हेतु येनेपोया (सम विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक को दिनांक 20.02.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

3. **और आगे, जबकि,** कुलसचिव येनेपोया (सम विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक ने दिनांक 07.03.2025 के अपने पत्र के माध्यम से आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और परामर्श के लिए यूजीसी को भेज दिया गया। यूजीसी ने दिनांक 12.08.2025 के अपने पत्र संख्या 26-7/2024 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट की जाँच की गई और उसकी स्थायी समिति द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया। समिति की रिपोर्ट को अध्यक्ष यूजीसी द्वारा भी अनुमोदित किया गया।

4. **अब, इसलिए,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, येनेपोया (सम विश्वविद्यालय),

प्रेकिल

मैंगलोर, कर्नाटक को चोक्कानहल्ली गांव, येलहंका होबली, बैंगलोर, कर्नाटक में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की का अनुमोदन देता है।

5. येनेपोया (सम विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए केन्द्रीय सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के निदेशों, नियमों, विनियमों का अनुपालन करेगा।

पूर्णेंदु बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, येनेपोया (सम विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
4. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार।
5. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
7. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को निर्देश दें।
8. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 23381578